

८७

## न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :- ग्रामीण 102/24

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

बैंक ऑफ बडौदा  
बीजेएस सर्कल, जोधपुर जरिये  
प्राधिकृत अधिकारी श्री दिलीप सिंह  
परिहार

- मैसर्स शिव स्टोन कटटर,  
खसरा न 320, गांव कुम्भारा,  
तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर  
ग्रामीण
- हडमान राम पुत्र माणक राम  
प्रोपराईटर मैसर्स शिव स्टोन  
कटटर  
उत्तर दिशा, बेरा, गाव नाडसर,  
तहसील भोपालगढ़ जोधपुर ग्रामीण



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन  
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :- 23.07.2024

1-श्री विरेन्द्र सिंह इन्दा अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

### आदेश

प्रार्थी पक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मैसर्स शिव स्टोन कटटर, व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 23,75,000 मोर्टगेज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण हडमान राम पुत्र माणक राम की जायदाद वाणिज्यिक सम्पति अवस्थित खसरा न. 320/2/1 गांव कुम्भारा, तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण जिसका क्षेत्रफल 3805.43 वर्गमीटर, जिसके उत्तर में खसरा न 320/1 की भूमि व रोड, दक्षिण में खसरा न 320/2/2 की भूमि, पूर्व में खसरा न 320/2 की भूमि एवं पश्चिम में खसरा न 320/2/2 की भूमि सम्पति आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.

69

हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्त/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 06.04.2024 तक 10,46,266.59/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 23,75,000 मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 06.04.2024 तक 10,46,266.59/- रुपये वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्त/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एरसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ड्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष हडमान राम पुत्र माणक राम द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद हडमान राम पुत्र माणक राम की जायदाद वाणिज्यिक सम्पत्ति अवस्थित खसरा न. 320/2/1 ग्रांव कुम्भारा, तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण जिसका क्षेत्रफल 3805.43 वर्गमीटर जिसके उत्तर में खसरा न 320/1 की भूमि व रोड, दक्षिण में खसरा न 320/2/2 की भूमि, पूर्व में खसरा न 320/2 की भूमि एवं पश्चिम में खसरा न 320/2/2 की भूमि सम्पत्ति आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 23.07.2024 को सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.